

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य :-

राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, CGTMSE Fee का पुनर्भरण कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :-

योजना का नाम "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :-

योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यमों सहित स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी तथा शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं CGTMSE Fee का पुनर्भरण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (एच.यू.एफ/सोसायटी/भागीदारीफर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी/स्वयं सहायता समूह) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

4. पात्रता की शर्तें :-

- (i) आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होगी।
- (ii) एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा।
- (iii) लाभार्थी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी पात्रतानुसार लाभ हेतु पात्र होंगे।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका/दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

निम्न योजना अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे :-

(i) ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो।

5. ऋणदात्री संस्थाएं :-

योजना अन्तर्गत निम्नांकित वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :-

- (i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- (iv) राजस्थान वित्त निगम।
- (v) सिडबी।
- (vi) अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार ऋण की तय सीमा पर वित्तीय संस्थानों द्वारा सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी तथा सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों को आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थान द्वारा Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजना से जोड़ा जायेगा। इसमें वार्षिक गारंटी फीस का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

6. योजना क्रियान्वयन एजेन्सी :-

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप :-

योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान के निवासी युवाओं को शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा:-

1. 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक

- सेवा एवं व्यापार क्षेत्र – 3.5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा
- विनिर्माण क्षेत्र – 7.5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा

उक्त ऋण पर लोन राशि के 10 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।

2. ग्रेजुएट/आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक योग्यता वाले आवेदक

- सेवा एवं व्यापार क्षेत्र – 5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा

- विनिर्माण क्षेत्र— 10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा

उक्त ऋण पर लोन राशि के 10 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।

योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। इसके पश्चात् वित्तीय संस्थान के स्तर से ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।

(i) मार्जिन मनी अनुदान:-

वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण वितरण किये जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान द्वारा राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूल किया जायेगा।

प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरांत 2 वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफॉल्टर नहीं होने पर विभागीय जाँच उपरांत मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। उद्यमी द्वारा 2 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) प्रशिक्षण हेतु सहायता:-

योजनान्तर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSLDC) के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

8. ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि :-

वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी। योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि प्रथम ऋण वितरण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी।

वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का Moratorium Period हो सकेगा, जो उद्यम की प्रकृति/लाभप्रदता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जायेगा। Moratorium Period में ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

9. आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन :-

- i. योजना अन्तर्गत आवेदन पत्रों की जांच जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा की जायेगी एवं स्क्रूटनी के बाद अभिशंषा सहित आवेदन पत्र वित्तीय संस्थान को अग्रेषित किये जायेंगे।

- ii. योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन पॉर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा प्रयास किये जावेंगे।

10. निर्बन्धन एवं शर्तें :-

- (i) योजना अन्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- (ii) योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता, उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री वित्तीय संस्थान द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना के कार्यरत होने का उल्लेख करना होगा। अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक के प्रमाणन/मान्यकरण पश्चात् किया जा सकेगा।
- (iii) ऋण खाता NPA (गैर निष्पादन आस्तियाँ) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालान्तर में नियमित कर दिये जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान एवं अन्य परिलाभ देय होंगे, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्यक्षीन होगा।
- (iv) इकाई द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर योजना में लाभ लिए जाने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा जिसके आधार पर भुगतान की गई अनुदान राशि मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगी।

11. योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :-

योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ अपात्र होगी :-

- (i) वाणिज्यिक परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 15 लाख रु. से अधिक हो।
- (ii) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/ गतिविधियाँ।
- (iii) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियाँ।
- (iv) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियाँ।

- 12.** योजना का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग सक्षम होगा। योजना के सुचारु संचालन हेतु मार्गदर्शिका अधिसूचना के **परिशिष्ट-अ पर संलग्न है**। इस योजना में उल्लेखित प्रावधानों पर व्याख्या, मार्गदर्शन, योजना क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के अधिकार आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान में निहित होंगे।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की सहमति दिनांक 11.01.2026 से जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महिपाल कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य।
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर, (समस्त), राजस्थान।
13. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
14. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान, जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, (समस्त)।
16. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

—:योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका:—

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. आवेदन पत्रों की जांच हेतु समिति :-

योजना अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित तीन सदस्यीय कार्यालय कार्मिकों की समिति द्वारा की जायेगी।

महाप्रबन्धक द्वारा गठित उक्त समिति की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी।

2. संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें:-

संस्थागत आवेदकों – एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी. फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में योजना के अनुसार उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार योजना के प्रावधान संख्या 7 के अनुसार संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 8वीं से 12वीं कक्षा पास या ग्रेजुएट/आई.टी.आई प्रमाण-पत्र धारकों में निहित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपयुक्त दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे।

3. विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण—

विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में इकाई के विद्यमान निवेश में 25 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होगी।

4. योजना अन्तर्गत आवेदन एवं क्लेम की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- (i) आवेदक द्वारा योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को आवेदन किया जायेगा। समिति के सदस्य सचिव प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच कर योजना अन्तर्गत आवेदनों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति द्वारा आवेदनों के प्रकरणों में प्रस्तावित

उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक/अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रुचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, आदि के आधार पर योग्य/पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु अग्रेषित किया जायेगा।

- (ii) जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिवस में आवेदन को समिति में रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (iii) ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में किसी प्रकार की कमीपूर्ति हेतु आक्षेप लगाये जाने पर आवेदक द्वारा अधिकतम 15 दिवस में कमीपूर्ति की जानी अनिवार्य होगी। उक्त अवधि में कमीपूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन पोर्टल से स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- (iv) समिति के निर्णय के विरुद्ध कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य को अपील की जा सकेगी, जिस पर कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत होने से पूर्व आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर, महाप्रबन्धक के स्तर से आवेदक का बैंक परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/निस्तारित किया जा सकेगा, ऋण स्वीकृति पश्चात् उक्त सूचना वित्तीय संस्थान द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अधिकतम 30 दिवस में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
- (vii) वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति/वितरण की तिथि, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा आवेदन को वित्तीय संस्थान को अग्रेषित किये जाने से पूर्व की होने पर लाभ देय नहीं होगा।
- (viii) वित्तीय संस्थान द्वारा समिति से अनुमोदित ऋण राशि से अधिक ऋण स्वीकृत किये जाने पर समिति द्वारा प्रथम बार अनुमोदित राशि पर ही लाभ देय होगा।
- (ix) योजना के तहत ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं ब्याज अनुदान हेतु क्लेम प्रपत्रों का निस्तारण प्रथम आओ प्रथम पाओं के सिद्धान्त पर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष आवेदन पत्र आगामी वित्तीय वर्ष तक ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा अभिशंसित किये जा सकेंगे। राज्य के लक्ष्यों का आवंटन कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों को

किया जायेगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों को आवंटित लक्ष्यों को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र संबंधित जिले के जिला अग्रणी प्रबन्धक की सहायता से सहभागी बैंकों एवं अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के मध्य आवंटित करायेंगे।

- (x) वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकृति उपरान्त संबंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेंगे। ऋण वितरण पश्चात् ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान एवं CGTMSE Fee का पुनर्भरण क्लेम की प्रक्रिया निम्नानुसार होंगी:—

अ) मार्जिन मनी अनुदान—

- i. मार्जिन मनी के समतुल्य अथवा अधिक ऋण राशि के वितरण पश्चात् वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी क्लेम संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। क्लेम के आधार पर मार्जिन मनी राशि महाप्रबन्धक द्वारा वित्तीय संस्थान को हस्तांतरित की जायेगी। उक्त राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपोजिट के रूप में जमा रहेगी।
- ii. 2 वर्ष तक उद्यम संचालित होने के पश्चात् वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी समायोजन हेतु संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को आवेदन किया जायेगा।
- iii. संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जावेगा एवं इकाई का लगातार 2 वर्ष तक संचालन में होना सुनिश्चित होने पर मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश 30 दिवस में जारी किया जायेगा। वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जायेगी।

मार्जिन मनी क्लेम संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

- ब) ब्याज अनुदान—** ऋणी द्वारा वित्तीय संस्थान को चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् वित्तीय संस्थान द्वारा क्लेम संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। क्लेम संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

स) **CGTMSE Fee का पुनर्भरण**— ऋणी द्वारा वित्तीय संस्थान को चुकाये गये वार्षिक CGTMSE Fee का पुनर्भरण क्लेम प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। क्लेम का पुनर्भरण जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. पैनल्टी के प्रावधान –

योजना के अन्तर्गत गलत तथ्य प्रस्तुत कर लाभ लिये जाने पर निम्नानुसार वसूली की जावेगी:—

- i. **ब्याज अनुदान**— भुगतान की गई कुल ब्याज अनुदान राशि मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगी।
- ii. **मार्जिन मनी**— वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपोजिट के रूप में जमा राशि की समतुल्य ऋण राशि पर वित्तीय संस्थान द्वारा ऋणी से कोई ब्याज नहीं वसूला जायेगा जिसके फलस्वरूप ऋणी को ब्याज का अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अतः गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये प्राप्त लाभ की कुल राशि 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज लाभार्थी से वसूलनीय होगी।
- iii. **CGTMSE Fee का पुनर्भरण** – भुगतान की गई राशि मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगी।

6. मॉनिटरिंग:—

इस योजना की निरन्तर मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से की जावेगी।

7. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं उक्त दिशा-निर्देशों में उल्लेखित प्रावधानों पर व्याख्या, मार्गदर्शन, योजना क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के अधिकार आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य में निहित होंगे।